संख्या 2740/लोनि– 1/03–46(प्रा0आ0)/2003

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता, स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 23 जनवरी,2004

विषयः अम्बाला मसूरी मार्ग(बाया राजपुर) के किमी. 194.100 से 198.300 तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं अम्बाला मसूरी मार्ग (वाया राजपुर) के किमी0 189.700 से 194.100 तक सुधार एवं चौड़ीकरण के कार्य के अगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 5892/24(24)याता030/2003 तथा 5891/24(24)याता0 –30/2003 दिनांक 24–12–2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत अम्बाला मसूरी मार्ग (वाया राजपुर) के किमी0189.700 से 194.100 तक सुधार एवं चौड़ीकरण के कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन कमशः रू0 231.57 लाख एवं रू0 205.00 लाख इस प्रकार कुल रूपये 436.57 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई कमशः रू0 223.05 लाख एवं रू0 201.48 लाख कुल रू0 424.03 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्य हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि के व्यय की भी स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1 आगणन में उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एव लोक निर्माण विभाग द्धारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है,उसी मद पर व्यय किया जाय,एक मद की राशि दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाल से टैस्टिंग करा ली जायं ,तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

8. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका ,स्टोर पर्चेज रूल्स डी0जी0एस0एण्ड डी की दरें अथवा टैण्डर/कूटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।
9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।
11. उक्त योजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु योजना आयोग को भेजा जायेगा, ताकि इसके विपरीत आवश्यक केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकें ।
12. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–5054–सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04–जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सैक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा
13. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0संख्या–2529/वि0अनु0–3/2003 दिनांक 22–1–04 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव ।

संख्या 1747(1)/04–लो0नि–1,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा प्रथम)उत्तराचंल इलाहाबाद/देहरादून ।
2 आयुक्त गढवाल मण्डल,पौडी ।
3 जिलाधिकारी, देहरादून ।
4 कोषाधिकारी, देहरादून ।
5 अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग ,देहरादून ।
6 वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ ,बजट अनुभाग उत्तराचंल शासन ।
7 लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव।